



पंजीयन संख्या : SAKH/S.S. 2/MUKHYALAY/249/2013

अ. जाति / अ. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्प संख्यक / महिला / सामान्य

सदस्य नं. : _____

शाखा : _____

सदस्यता सं. _____

आवेदन दिनांक : _____

सदस्यता व हिस्सा हेतु प्रार्थना - पत्र

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

भास्कर क्रेडिट कॉ-ओपरेटिव सोसायटी मर्यादित

मैं / हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता आपकी समिति का सदस्य बनने की प्रार्थना करता हूँ/ करते हैं ।
प्रवेश शुल्क रू. 10/- तथा हिस्सा संख्या.....प्रति हिस्सा रूपये 100/- (सौ रूपये) से
.....कुल राशि..... के साथ प्रस्तुत करता हूँ / करते हैं
। मुझे/हमें समिति के वर्तमान नियम, उपनियम समय-समय पर किये गये परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन
तथा सहकारी अधिनियम मान्य होंगे । मैं / हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम किसी भी
अन्य सहकारी समिति का सदस्य नहीं हूँ/ हैं ।

फोटो
अनिवार्य

आवेदक का नाम _____ पिता/पति का नाम _____

जाति _____ व्यवसाय _____ उम्र _____ वर्ष मोबाइल _____

स्थायी पता _____

तहसील _____ जिला _____ राज्य _____

वर्तमान पता _____


तहसील _____ जिला _____ राज्य _____

मैं / हमारे द्वारा क्रय किये गये हिस्सों का उत्तराधिकारी श्री / श्रीमती _____ को

घोषित करता हूँ/करते हैं जिनकी उम्र _____ सम्बन्ध _____ हैं ।

उत्तराधिकारी अवस्यक होने की अवस्था में संरक्षक का नाम _____

नमूना हस्ताक्षर



प्रार्थी के हस्ताक्षर

साक्षी :

1. हस्ताक्षर _____

2. हस्ताक्षर _____

नाम _____

नाम _____

पिता / पति का नाम _____

पिता / पति का नाम _____

पता _____

पता _____

स्वीकृति :

भास्कर क्रेडिट कॉ-ओपरेटिव सोसायटी मर्यादित के संचालक मण्डल/सदस्यता समिति द्वारा दिनांक _____

को प्रस्ताव संख्या _____ के द्वारा सदस्यता की स्वीकृति दी गई ।

अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक

सदस्य बनने के नियम :-

1. प्रार्थी समिति के कार्यक्षेत्र म. प्र. में कार्यरत हो, या इसका निवासी हो ।
2. प्रार्थी अन्य किसी साख सहकारी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिये ।
3. प्रार्थी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये ।
4. प्रार्थी संविदा करने में सक्षम होना चाहिये ।
5. प्रार्थी किसी आपराधिक गतिविधियों में न्यायालय द्वारा दंडित नहीं होना चाहिये ।
6. प्रार्थी समिति के किसी प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय में नियोजित नहीं होना चाहिये ।

नोट :- प्रत्येक सदस्य को सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

सदस्यता समाप्त होने पर सदस्यता व हिस्सा राशि लौटाने के नियम :-

(अ) सदस्य के आवेदन पर उनकी सदस्यता व हिस्सा राशि तभी लौटाई जायेगी जबकि :-

1. सदस्यता प्राप्त किये हुये 1 वर्ष की समयावधि पूर्ण कर ली गयी हो ।
2. सदस्य के नाम सदस्यता दायित्व रजिस्टर में उसके नाम से किसी प्रकार का दायित्व (ऋण व गारण्टी) बकाया न हो ।
3. सदस्यता व हिस्सा राशि लौटाने का अधिकार संचालक मंडल में निहित होगा ।

(ब) सदस्य के आवेदन पर उनकी सदस्यता व हिस्सा राशि हस्तान्तरण की जायेगी ।

1. सदस्यता व हिस्सा हस्तान्तरण द्वारा सदस्यता समाप्त करने की स्थिति में प्रार्थी को सदस्यता प्राप्त किये कम से कम एक वर्ष की समयावधि पूर्ण हो चुकी हो ।
2. सदस्यता हस्तान्तरण कर्ता द्वारा रु. 100/- रूपये सदस्यता व 10/- रु. प्रवेश शुल्क समिति में जमा करवाने होंगे ।
3. सदस्यता सर्टिफिकेट खोने की अवस्था में प्रति सर्टिफिकेट रु. 50/- जमा करवाने होंगे ।

आवेदक के हस्ताक्षर